गैर - प्रतिवेद्य

भारत का उच्चतम न्यायालय

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

<u>आपराधिक अपील संख्या 2119/2010</u>

राजस्थान **राज्य**

अपीलकर्ता (ओ)

बनाम

किस्तूरा **राम**

प्रतिवादी (यो)

<u>निर्णय</u>

बी. आर. गवई, जे.

1. वर्तमान अपील में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15 सितम्बर, 2009 को जोधपुर के डी. बी. आपराधिक अपील सं. 25/1986 के मामले में पारित निर्णय को चुनौती दी गई है, जिससे इसमें प्रत्यर्थी अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया है और विद्वत जिला और सत्र न्यायाधीश, जोधपुर (जिसे इसके पश्चात् ''विचारण न्यायालय'' कहा गया है) द्वारा पारित निर्णय, दिनांक 10 जनवरी, 1986 को मूल आपराधिक मामला सं. 114/1986, को पलट दिया गया है जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में ''भा. दं. सं.") की

धारा 302 के अधीन प्रत्यर्थी अभियुक्त को दोषी ठहराया गया और उसे आजीवन कारावास का दंड दिया गया था और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत भी दोषी ठहराया गया और तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

2. प्रतिवादी-अभियुक्त पर भा. दं. सं. की धारा 302 और 201 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला है कि आरोपी ने अपनी पत्नी को लाठी से मार डाला, उसे घर से 100 फीट दूर घसीट कर ले गया और सबूत मिटाने के लिए आग लगा दी।

3.विचारण न्यायालया ने सबूतों का मूल्यांकन करने के बाद, प्रतिवादी-अभियुक्त को भा. दं. सं. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे 100 रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रतिवादी अभियुक्त को आईपीसी की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया था और 100 रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

4. इससे असंतुष्ट होकर, प्रतिवादी अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित निर्णय के द्वारा, अपील को स्वीकार कर लिया और दोषसिद्धि के आदेश को उलट दिया और अभियुक्तों को

आरोपों से बरी कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर, राजस्थान राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है।

5. हमने अपीलार्थी-राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विशाल मेघवाल को सुना।

6. अपीलकर्ता राज्य के विद्वान अधिवक्ता मेघवाल ने कथन किया है कि जब निचली अदालत ने गुमान सिंह (पीडब्ल्यू 4) के साक्ष्यों के मूल्यांकन पर, प्रत्यर्थी-अभियुक्त को दोषी ठहराया था, तो उच्च न्यायालय के पास इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था। उसने कथन किया है कि गुमान सिंह (पी डब्ल्यू 4) के समक्ष प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा की गई न्यायिकेत्तर स्वीकारोक्ति ऐसी है, जो न्यायिक मन में विश्वास को प्रेरित करेगी। यह कथन किया गया है कि गुमान सिंह (पी डब्ल्यू 4) एक स्वतंत्र गवाह था क्योंकि उसने पुलिस विभाग में सेवा की थी और उसकी गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि हमीरा राम (पी डब्ल्यू 7) को हालांकि पक्षद्रोही घोषित किया गया है, किंतु न्यायिकेत्तर संस्वीकृति से संबंधित उसकी गवाही का एक हिस्सा भरोसेमंद है और यह गुमान सिंह (पी डब्ल्यू 4) की गवाही की पुष्टि करता है। इसलिए, उन्होंने निवेदन किया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को अपास्त करने की

आवश्यकता है और विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करने की आवश्यकता है।

7. हमने 10 जनवरी, 1986 के निचली अदालत और 15 सितंबर, 2009 के उच्च न्यायालय के फैसले का अवलोकन किया है।

8. दोषमुक्ति के खिलाफ अपील में हस्तक्षेप का दायरा बहुत सीमित है, जब तक यह नहीं पाया जाता कि न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण असंभव या विकृत है, दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। समान रूप से यदि दो विचार संभव हैं, तो दोषमुक्ति के आदेश को रद्द करने की अनुमति नहीं है, केवल इसलिए कि अपीलीय अदालत को सजा का रास्ता अधिक संभावित लगता है। हस्तक्षेप तभी उचित होगा जब लिया गया दृष्टिकोण बिल्कुल भी संभव न हो।

9. उच्च न्यायालय ने सबूतों पर विस्तार से विचार किया है। निर्विवाद रूप से, हमीरा राम (PW7) पक्षद्रोही हो गया है। निचली अदालत को स्वयं प्रत्यर्थी-अभियुक्त के कहने पर कथित रूप से बरामद की गई आपत्तिजनक सामग्री की कथित बरामदगी पर अविश्वास था।

10. यह केवल गुमान सिंह (पी डब्ल्यू 4) द्वारा कथित रूप से की गई न्यायिकेत्तर संस्वीकृति पर निर्भर करता है। **पंजाब राज्य बनाम भजन सिंह और अन्य** [1]के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए, इसी तरह

के मामले **गोपाल साह बनाम बिहार राज्य** [2] में भी उच्च न्यायालय ने माना है कि न्यायातिरेक संस्वीकृति सबूत का एक कमजोर भाग था और जब तक कुछ सम्पुष्टि नहीं होती, केवल न्यायातिरेक संस्वीकृति के आधार पर दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता था। उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण ना तो असंभव है ना ही विकृतिग्रस्त, इसलिए हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

---

1 (1975) 4 एससीसी 472, 2 (2008) 17 एससीसी 128

11. इस मामले को देखते हुए, हम आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। हमें अपील में कोई योग्यता नहीं मिली ।याचिका खारिज की जाती है।

12. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, तदनुसार निपटाए जाते हैं।

..... ज.

(बी. आर. गवई)

..... ज.

(पामिदिघनटम श्री नरसिम्हा)

नई दिल्ली

28 जुलाई, 2022

(Translation has been done through AI Tool : SUVAS with the help of Translator)

Disclaimer : The translated judgment in vernacular language made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purposes. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.